

अध्याय -II
बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय-II

बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

सरकारी स्तर पर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर कानून तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों का संचालन प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसको दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छः उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। उनको सम्बंधित कर कानूनों तथा नियमों का संचालन करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2015-16 के दौरान मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से सम्बंधित 15 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 381 मामलों में ₹140.82 करोड़ से अंतर्विष्ट कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई जो कि निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसाकि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रमांक	श्रेणी	(₹ करोड़ में)	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	कर का अवनिर्धारण	20	2.23
2.	दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों 'सी' तथा 'एफ' की स्वीकृति	36	1.79
3.	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवचन	34	8.45
4.	निवेश कर क्रेडिट का अनियमित/गलत/अधिक अनुमोदन	141	8.26
5.	कर की दर का गलत अनुप्रयोग	27	1.01
6.	अन्य अनियमितताएं	123	119.08
	योग	381	140.82

वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग ने ₹82.13 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के 123 मामलों को स्वीकार किया, जिसमें से 101 मामलों में ₹13.19 करोड़ की राशि वसूल की गई थी उसमें 93 मामलों में ₹8.65 करोड़ विगत वर्षों से तथा आठ मामलों में ₹4.54 करोड़ की राशि वर्ष 2015-16 से संबंधित थी।

₹56.76 करोड़ से अंतर्विष्ट कुछ आवश्यक मामलों की चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

2.3 पट्टादारों से पट्टा राशि की अवसूली

विभाग ने ₹51.40 करोड़ की पट्टा राशि को टोल वैरियरों के पट्टादारों से वसूल करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 में प्रावधान है कि अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक यांत्रिक वाहन पर किसी भी सड़क की आधारीक संरचना के उपयोग के लिए प्रत्येक यांत्रिक वाहन के प्रति विनिर्दिष्ट दरों पर टोल का उद्ग्रहण तथा भुगतान किया जाएगा। अधिनियम की धारा 3-ए में प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को निलामी द्वारा या निविदा द्वारा या दोनों के समिश्रण अथवा किसी अन्य विधि से किसी वित्तीय वर्ष के लिए या उसके किसी भाग, पर ऐसे निबंधन एवं शर्तों जिन्हें आयुक्त राज्य सरकार के अनुमोदन के अनुसार निश्चित करेगा, पट्टे पर टोल एकत्रित करने के अधिकार दे सकती है।

पट्टा करार की उपधारा 2.3.13 के अंतर्गत किसी टोल इकाई की उच्चतम बोली लगाने वाला, बोली की 20 प्रतिशत राशि के बराबर की राशि को जमानत के रूप में निम्नवत् जमा करेगा:

1. बोली राशि के रूप में 5 प्रतिशत अथवा पीठासीन अधिकारी द्वारा बोली के समय पर राशि को नगदी भुगतान के रूप में जमा करवाने हेतु निर्देशित राशि जो भी बोली की समाप्ति पर उच्चतम हो;
2. नीलामी के 10 दिनों के भीतर या 31 मार्च को, जो भी पहले हो बोली की राशि का 10 प्रतिशत तथा;
3. सम्बन्धित जिला के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के निर्देशानुसार बोली की राशि/ वार्षिक पट्टा राशि का पांच प्रतिशत 10 दिनों के भीतर या 31 मार्च को, जो भी पहले हो, राजस्व जमा के रूप में या शर्त रहित बैंक प्रत्याभूति या सावधि जमा के रूप में।

उपधारा 2.3.17 के अंतर्गत शेष राशि अर्थात् पट्टा राशि की 85 प्रतिशत यदि पट्टे की अवधि एक वित्तीय वर्ष के लिए हो, पट्टेदार द्वारा 10 समान किस्तों में अथवा किस्तों की ऐसी संख्या जिसे सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त नियत कर सकता है, भुगतान किया जाएगा। उपधारा 2.3.19 के अनुसार देय तिथि तक किसी किस्त या उसके किसी भाग को भुगतान करने में विफलता की दशा में पट्टेदार एक मास की अवधि तक भुगतान के बिलम्ब पर भुगतान न की गई राशि पर 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक 20 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान करेगा। यदि पट्टेदार किस्त या किस्तों और ब्याज की राशि को जमा करने में विफल रहता है तो क्षेत्रीय प्रभारी अतिरिक्त/उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त निबंधन एवं शर्तों के प्रावधानानुसार शास्ति लगा कर, निलम्बित अथवा पट्टे को निरस्त करके तब तक की बिलम्ब की अवधि का समाधान कर लेगा तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त ब्याज, शास्ति आदि सहित पट्टे की देय राशि की वसूली को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत 55 टोल बैरियरों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विभाग को ₹51.40 करोड़ की पट्टाराशि अभी वसूल की जानी है जैसा कि तालिका-2.2 में विवरण दिया गया है:

तालिका-2.2: पट्टेदारों से पट्टा राशि की अवसूली का जिला-वार विवरण

क्रमांक	जिले का नाम	अवधि	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सोलन	2009-10	2.34
		2011-12 से 2012-13	1.90
		2013-14 से 2014-15	9.10
2.	बढ़ी	2011-12 से 2012-13	5.25
		2013-14 से 2014-15	12.59
3.	ऊना	2002-03 से 2010-2011	1.48
		2012-13	0.92
4.	बिलासपुर	2012-13 से 2015-16	7.16
5.	नाहन	2011-12 से 2014-15	9.94
6.	नुरपूर	2010-11 से 2012-13	0.72
योग			₹51.40

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग अधिनियम में निर्धारित समय-अनुसूची के अनुसार न केवल पट्टा राशि की वसूली करने में असमर्थ रहा अपितु विभिन्न लेखाओं के संदर्भ में जैसे कि ब्याज, शास्ति, अन्य टोल बैरियरों के संदर्भ में वसूलने योग्य राशि, राज्य आबकारी शुल्क इत्यादि के रूप में वसूलने योग्य राशि जिनको एक साथ इक्ठ्ठा किया गया था, की स्थिति का अनुरक्षण भी नहीं किया। फलस्वरूप, विभिन्न लेखाओं के संदर्भ में विभिन्न पट्टादारों को आबंटित प्रत्येक टोल बैरियरों/टोल बैरियरों के समूह से वसूलने योग्य सही राशि की स्थिति सुनिश्चित योग्य नहीं थी। यद्यपि वसूल की जाने वाली राशि को बहुत पहले ही भू-राजस्व के बकाया के रूप में अनुमोदित कर दिया गया था तथापि वसूली हेतु विभाग अथवा जिला स्तर पर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए थे जबकि वही पट्टेदार जिन्हें अन्य टोल बैरियरों पर पट्टा अधिकार प्राप्त/वचनबद्ध थे, समय-समय पर विभाग के साथ अन्य गतिविधियों में लगे हुए थे। इसके फलस्वरूप पट्टे की बकाया राशि बढ़ कर ₹51.40 करोड़ हो गई थी।

इंगति किये जाने पर विभाग ने (नवम्बर 2016) बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन द्वारा लाइसेंस फीस की बकाया राशि के रूप में ₹4.42 करोड़ को वसूल कर लिया गया था तथा शेष राशि को भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूल किये जाने के प्रयास किये जा रहे थे।

सरकार को मामला अगस्त 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.4 कर की गलत दर लागू करना

निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान नौ व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय पांच से 30 प्रतिशत लागूयोग्य दर के स्थान पर चार से 11 प्रतिशत की गलत दर लागू की। परिणामस्वरूप, ₹0.54 करोड़ के कर की राशि की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹0.41 करोड़ का ब्याज भी उद्ग्राह्य योग्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानानुसार, धारा 6 के अंतर्गत अनुसूची-‘ए’ के अनुसार एक व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों पर कर उद्ग्राह्य है। आगे, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने का दायी हो जाता है।

जुलाई 2015 तथा जून 2016 के मध्य पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹ के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नौ व्यापारियों ने वर्ष 2005-06 से 2013-14 के दौरान ₹6.54 करोड़ की राशि की अंतः एवं अंतर्राज्यीय बिक्रियां की थी जोकि विभिन्न दरों² पर कर योग्य थी। निर्धारण प्राधिकारियों ने इन निर्धारणों को अप्रैल 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य अंतिम रूप देते समय लागू योग्य उच्चतम दरों के स्थान पर चार से 11 प्रतिशत की निम्न दरों का अनुद्ग्रहण किया। गलत दरों को लागू करने के परिणामस्वरूप ₹0.54 करोड़³ के कर की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹41.17 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

विभाग ने अक्टूबर 2016 में सूचित किया कि दो मामलों में ₹7.45 लाख की अतिरिक्त मांग वसूल कर ली गई थी तथा शेष मामले प्रक्रियाधीन थे।

सरकार को मामला जुलाई 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर अभी प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.5 अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों को स्वीकार करने तथा कर की छूट/रियायत दर को अनुमत करने के परिणामस्वरूप 15 मामलों में ₹47.90 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹41.83 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

प्रपत्र 'सी', क्रेता व्यापारी द्वारा 'मूल' एवं 'डुप्लीकेट' में चिन्हित की गई दो प्रतियों में जारी किया जाता है। 'मूल' चिन्हित की गई प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने विवरण के साथ संलग्न की जाती है तथा 'डुप्लीकेट' प्रति विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने अभिलेख में रख ली जाती है। केन्द्रीय बिक्री कर नियम, 1957 की धारा 12(7) के अनुसार 'मूल' प्रति को कर की दर में छूट प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की (जुलाई 2015 तथा जून 2016 के मध्य) संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2006-07 से 2012-13 की कर अवधियों के लिए अप्रैल 2014 तथा मार्च 2015 के मध्य 15 व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने घोषणा प्रपत्रों- 'सी' पर ₹10.82 करोड़ के मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्री कर की रियायती दर की अनियमित रूप से अनुमति दी जो या तो डुप्लीकेट/त्रुटिपूर्ण प्रपत्रों की प्रतियां थी जैसा कि परिशिष्ट-I में ब्योरा दिया गया है। इन प्रपत्रों को व्यापारियों के कर निर्धारण के समय अस्वीकार किया जाना अपेक्षित था। अतः अमान्य, डुप्लीकेट तथा त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों पर छूट अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹47.90 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹41.83 लाख का ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

विभाग ने अक्टूबर 2016 में सूचित किया कि दो मामलों में ₹5.55 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी जिसमें से ₹4.95 लाख वसूल कर लिये गए थे तथा शेष मामलों प्रक्रियाधीन थे।

¹ सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त- बही, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना।

² कर की विभिन्न दरें-5, 12.50, 13.75, 16, 18 एवं 30 प्रतिशत (चूना पत्थर पर 20-06-2015 तक कर की 30 प्रतिशत की दर लागू थी)।

³ सहायक एवं आबकारी कराधान आयुक्त- बही (एक व्यापारी: ₹18.89 लाख), नाहन: (तीन व्यापारी: ₹6.79 लाख), शिमला: (एक व्यापारी: ₹1.67 लाख), सोलन: (तीन व्यापारी: ₹14.87 लाख) तथा ऊना : (एक व्यापारी : ₹11.84 लाख)।

सरकार को मामला जुलाई 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.6 प्रवेश कर का भुगतान न करने तथा अन्तिम रूप न देने से राजस्व हानि

एक व्यापारी ने ₹6.91 करोड़ के भुगतान योग्य प्रवेश कर के प्रति ₹3.40 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया, परिणामस्वरूप ₹3.51 करोड़ का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 (1) के प्रावधानानुसार हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर एक से पांच प्रतिशत की दर से कर का अनुद्ग्रहण एवं संग्रहण किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम, की धारा 12 के अनुसार मूल्य वर्धित कर के कुछ प्रावधानों जैसे कि रिटर्नों को प्रस्तुत करना, शास्ति का अनुद्ग्रहण, प्रमाण का दायित्व तथा ब्याज का भुगतान भी हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम, में लागू योग्य है। आगे, धारा 13 में प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार वह ब्याज एवं शास्ति सहित प्रवेश कर का निर्धारण एवं भुगतान का संग्रहण करेंगे।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला के अभिलेखों की (मार्च 2016) में की गई संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने निर्धारण को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अंतिम रूप देते समय उसका निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम के अंतर्गत नहीं किया। निर्धारिती ने ₹67.58 करोड़ की खरीद पर वास्तव में ₹3.40 करोड़ के प्रवेश कर का भुगतान किया। तथापि, हिमाचल प्रदेश कर प्रशासनिक प्रणाली (हिमटॉस) सॉफ्टवेयर (वैट XXVI-ए) से निकाले गए विवरण के अनुसार ₹138.24 करोड़ का कुल क्रय निकाला गया जिस पर व्यापारी ₹6.91 करोड़ के प्रवेश कर के भुगतान करने का उत्तरदायी था। इस प्रकार प्रवेश कर के लिए मामले का निर्धारण हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश माल कर अधिनियम के अंतर्गत न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 के लिए ₹3.51 करोड़ के प्रवेश कर की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, कर की राशि से दोगुना राशि के बराबर शास्ति भी उद्ग्रहण थी।

सरकार को मामला जुलाई 2016 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

2.7 सकल बिक्री का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान कुल बिक्री से विविध देनदारों की राशि को निकालने के परिणामस्वरूप ₹0.83 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी उद्ग्रहण था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 (v) (जैड0डी0) के अनुसार 'बिक्री' से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों, क्रयों तथा बिक्रियों व क्रयों के अंशों की सकल राशि तथा भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है। इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 (I) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो उससे चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर ब्याज उद्ग्रहण होगा।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, शिमला के निर्धारण अभिलेखों की जनवरी और मार्च 2016 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 के लिए एक व्यापारी के निर्धारणों को मार्च 2015 में ₹6.65 करोड़ विविध देनदारों की राशि को घटाते हुए ₹92.36 करोड़ की सकल बिक्री पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जोकि सकल बिक्री में से घटाने के लिए अनुमत नहीं थी। इस ₹6.65 करोड़ की सकल बिक्री के अल्प निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹83.12 लाख⁴ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2016 तक कर के अल्प भुगतान पर ब्याज भी उद्ग्रहण योग्य था।

विभाग ने (अक्टूबर 2016) में सूचित किया कि इस राशि को वास्तव में व्यापारी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था तथा वहाँ केवल खरीदने का ही बचन दिया गया था। ऐसा इसलिए घटित हुआ क्योंकि कम्पनी लेखाकरण की गलत पद्धति अपना रही थी तथा अब उन्होंने लेखाकरण की इस पद्धति को अलग कर दिया था। उत्तर स्वीकार नहीं है क्योंकि लेखों में विविध देनदारों की बुकिंग को बिक्री के आधार पर बुक किया गया था।

सरकार को मामला अप्रैल 2016 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

⁴ ₹6.65 करोड़ पर 12.5 प्रतिशत।